भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3197

उत्तर देने की तारीख : 18.12.2025

उत्तर प्रदेश में एमएसएमई क्षेत्र

3197. श्री अनुराग शर्मा :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए उत्तर प्रदेश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र के लिए केंद्र सरकार द्वारा आवंटित कुल धनराशि उन योजनाओं सहित योजना-वार कितनी है जिनके तहत इस तरह की धनराशि निर्धारित की गई है;

(ख) क्या बुंदेलखंड क्षेत्र - जिसमें झांसी, ललितपुर, बांदा, हमीरपुर, महोबा और चित्रकूट शामिल हैं- में एमएसएमई क्लस्टरों की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है और यदि हां, तो इन क्लस्टरों का ब्यौरा क्या है और स्थानीय उद्यमिता के लिए उनके अपेक्षित लाभ क्या हैं;

(ग) क्या सरकार बुंदेलखंड के पिछड़ेपन और रोजगार की संभावना को देखते हुए इसे एमएसएमई प्राथमिकता क्षेत्र घोषित करने पर विचार कर रही है, यदि हां, तो ऐसे वर्गीकरण के लिए किन मानदंडों पर विचार किया जा रहा है; और

(घ) क्या एमएसएमई को बुंदेलखंड में इकाइयां स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए ऋण सुविधा, रियायती भूमि या विपणन सहायता जैसे अतिरिक्त प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क): भारत सरकार देश में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के संवर्धन और विकास के लिए विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और नीतिगत पहलों के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहयोग करती है। एमएसएमई मंत्रालय प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना आदि का कार्यान्वयन करता है। उत्तर प्रदेश में मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित इन योजनाओं के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति निम्न है:

(i) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) एक क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों और ग्रामीण/शहरी बेरोजगार युवाओं को मार्जिन मनी सब्सिडी के माध्यम से सहायता प्रदान करके गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्व-रोजगार के अवसर पैदा करना है।

वर्ष 2024-25 के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य को आवंटित निधि का विवरण निम्नानुसार है:

योजना का नाम	2024-25 में आवंटित/वितरित/जारी की गई धनराशि (लाख रुपए में)
खादी ग्रामोद्योग विकास योजना (केजीवीवाई)	6962.11
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)	24113.28

(ii) क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएस) के तहत, सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) हेतु एमएसई के लिए ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) के माध्यम से बिना किसी संपार्श्विक (कोलेटरल) सुरक्षा और तीसरे पक्ष की गारंटी के ऋण के लिए एमएसई को क्रेडिट गारंटी प्रदान की जाती है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में सीजीएस के तहत एमएसई को दी गई ऋण गारंटियों का विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(iii) मंत्रालय देशभर में सूक्ष्म एवं लघु उद्यम - क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) लागू कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य क्लस्टर विकास दृष्टिकोण अपनाते हुए सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है, ताकि मौजूदा क्लस्टरों में सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) स्थापित करने और नए/मौजूदा औद्योगिक संपदाओं/क्षेत्रों/फ्लैटेड फैक्ट्री परिसरों में अवसंरचनात्मक सुविधाओं को स्थापित/उन्नत करने के लिए भारत सरकार के अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करके उनका समग्र विकास किया जा सके।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, यूपीएसआईसी औद्योगिक क्षेत्र, अमौसी, लखनऊ में फ्लैटेड फैक्ट्री परिसरों के लिए 34.30 करोड़ रुपए की कुल परियोजना लागत और भारत सरकार के 10.50 करोड़ रुपए के अनुदान के साथ एक परियोजना को मंजूरी दी गई है।

(iv) अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना (आईसी) के तहत, पात्र केंद्रीय/राज्य सरकारी संगठनों और उद्योग संघों को अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/मेलों/क्रेता-विक्रेता बैठकों में एमएसएमई की भागीदारी को सुविधाजनक बनाने और भारत में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों/संगोष्ठियों/कार्यशालाओं आदि के आयोजन के लिए प्रतिपूर्ति के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पहली बार निर्यात करने वाले सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात में शामिल विभिन्न लागतों के लिए भी प्रतिपूर्ति प्रदान की जाती है। पिछले पांच वर्षों में उत्तर प्रदेश के 158 एमएसएमई को सहायता प्रदान की गई है।

(ख) : एमएसई-सीडीपी स्कीम के तहत, बुंदेलखण्ड क्षेत्र में एमएसएमई क्लस्टरों की स्थापना का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) : बुंदेलखण्ड को एमएसएमई प्राथमिकता क्षेत्र घोषित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है और इस तरह की घोषणा के लिए कोई मानदण्ड अभी विचाराधीन नहीं है। बुंदेलखंड में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को इकाइयां स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु कोई अतिरिक्त प्रोत्साहन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

****

अनुबंध-I

लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3197, जिसका उत्तर दिनांक 18.12.2025 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

सीजीएस – अनुमोदित गारंटी - समग्र				
	वित्त वर्ष 2025-26 दिनांक 30 नवंबर, 2025 तक		संचयी दिनांक 30 नवंबर, 2025 तक	
	अनुमोदित गारंटियों की संख्या	अनुमोदित राशि (करोड़ रुपए में)	अनुमोदित गारंटियों की संख्या	अनुमोदित राशि (करोड़ रुपए में)
झांसी	4,272	253	24,350	1,356
ललितपुर	2,127	89	9,891	424
बाँदा	2,257	111	9,400	555
हमीरपुर	1,152	66	6,162	346
महोबा	961	70	4,432	317
चित्रकूट	1,049	48	5,116	255
उत्तर प्रदेश	3,19,951	26,779	17,47,395	1,22,498
अखिल भारत	15,52,645	2,50,001	1,30,63,982	11,84,872